UPMT010028192025

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, मथुरा

उपस्थित– विकास कुमार–I, उच्चतर न्यायिक सेवा
सिविल निगरानी संख्या–45/2025
(सम्बन्धित प्रकीर्ण वाद संख्या–436/2024)

1– श्रीमती राजेश आयु करीब 60 वर्ष पत्नी स्व. इन्द्रजीत
2– गजेन्द्र उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र स्व. इन्द्रजीत
समस्त निवासीगण– नगला पतिराम, मौजा अबैरनी, पोस्ट अबैरनी, तहसील महावन, जिला मथुरा **––– पुनरीक्षणकर्तागण/विपक्षीगण**

प्रति

रामवीर सिंह पुत्र स्व. भगवान सिंह (मृतक)
1/1– हमवीर सिंह उम्र करीब 60 साल पुत्र स्व. भगवान सिंह
निवासी– ग्राम अबैरनी, तहसील महावन, जिला मथुरा
––– प्रत्यर्थी/प्रार्थी

निर्णय

1– प्रस्तुत व्यवहार निगरानी, प्रकीर्ण वाद संख्या–436/2024 रामवीर सिंह बनाम श्रीमती राजेश आदि में विद्वान सिविल जज (सी०डि०), त्वरित न्यायालय, मथुरा द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.02.2025 से विक्षुब्ध होकर संस्थित की गई है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सी०पी०सी० वास्ते रिकॉल किए जाने वाद निरस्तीकरण आदेश दिनांकित 16.08.2024 व प्रकीर्ण वाद संख्या 93/2017 को पुनः उसके मूल नम्बर पर कायम किये जाने, को स्वीकार किया है।

2– इस व्यवहार निगरानी हेतु सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रकीर्ण वाद संख्या 93/2017 रामवीर बनाम राजेश दिनांक 16.08.2024 को प्रार्थी पक्ष की अनुपस्थिति में खारिज किया गया।

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1/1 जो इस निगरानी में प्रत्यर्थी के रूप में है, के द्वारा उक्त आदेश दिनांकित 16.08.2024 को अपास्त किये जाने व उक्त प्रकीर्ण वाद को उसके मूल नम्बर पर कायम किये जाने की याचना करते हुए प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सी०पी०सी० इस आशय के कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि पक्षों के मध्य उत्पन्न निजा के मुतल्लिक तीन पत्रावलियां जिसमें इजराय संख्या 11/2014, प्रकीर्ण वाद संख्या 93/2017 एवं एक अन्य प्रकीर्ण वाद सं० 63/2017 विचाराधीन रही। वाद विषयक पक्षकार एक ही होने के

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.04.02 16:27:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

UPMT010028192025

कारण तीनों पत्रावलियां साथ–साथ वास्ते सुनवाई जिसमें दि० 29.07.2024 नियत थी, किन्तु नियत दिनांक को सिर्फ प्रकीर्ण वाद संख्या 93/2017 ही माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई एवं वादहू सुनवाई अग्रिम तिथि 06.09.2024 नियत की गयी। तब प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा उक्त पत्रावली पर अपने अंगूठा निशानी करते हुए पेशकार साहब से इजराय सं० 11/2014 एवं प्रकीर्ण वाद सं० 63/2017 की बावत पूछा तब पेशकार साहब द्वारा बताया गया कि उक्त दोनों पत्रावलियां अभी तक आफिस से नहीं आयी हैं, जैसे ही आयेगी उन दोनों में भी दि० 06.09.2024 ही नियत कर दी जायेगी। प्रार्थी अपने घर चला गया। अग्रिम तारीख 06.09.2024 को न्यायालय आया एवं तीनों पत्रावलियों के सन्दर्भ में जानकारी की तो पता चला कि प्रकीर्ण वाद सं० 93/2017 एवं 63/2017 उक्त दोनों को ही दि० 16.08.2024 को प्रार्थी को अनुपस्थित मानते हुए माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। जबकि उक्त दि० 16.08.2024 की कोई सूचना याकि जानकारी प्रार्थी को नहीं थी।

3– प्रार्थनापत्र उक्त के विरूद्ध प्रतिपक्षी/वादी की ओर से आपत्ति दिनांकित 28.11.2024 दाखिल कर कहा गया कि प्रार्थनापत्र असत्य कथनों के आधार पर दिया गया है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 10 सी०पी०सी० सब–रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित है, क्योंकि प्रकीर्ण वाद सं० 63/2017 रामवीर बनाम राकेश, प्रकीर्ण वाद सं० 93/2017 से पहले प्रस्तुत की गयी है तथा प्रार्थी द्वारा प्रकीर्ण वाद सं० 63/2017 में पारित खारिजा आदेश को अपास्त कराने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

4– विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के पश्चात पारित आदेश दिनांकित 27.02.2025 में यह अभिमत व्यक्त किया है कि प्रकीर्ण वाद पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त दिनांक 16.08.2024 के पूर्व तिथियों पर प्रार्थीपक्ष उपस्थित रहा है। दिनांक 16.08.2024 की कोई सूचना या जानकारी न होने का कारण बताया है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त है कि वाद का निस्तारण दोनों पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त गुणदोष के आधार पर किया जाये। प्रार्थनापत्र शपथपत्र द्वारा समर्थित है। उपरोक्त अभिमत व्यक्त करते हुए प्रत्यर्थी/ वादी का प्रार्थनापत्र मु० 1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 16.08.2024 अपास्त किया गया है। जिससे क्षुब्ध होकर प्रस्तुत पुनरीक्षण योजित किया गया है।

5– उक्त आदेश दिनांकित 27.02.2025 के विरूद्ध निगरानीकर्ता/प्रतिवादी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत कर आधार लिये गये हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश

UPMT010028192025

सम्भावनाओं पर आधारित है। विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया है कि इजराय संख्या 11/2024 राजेश बनाम रामवीर के साथ ही उक्त आर०एम० की सुनवायी चली आ रही थी व दिनांक 18.02.2025 को डिक्रीदार के अधिवक्ता द्वारा मुल्तवी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर प्रतिपक्षी अधिवक्ता द्वारा नो आब्जेक्शन किया गया था, इस वजह से डिक्रीदार के अधिवक्ता इस विश्वास में रहे कि दोनों पत्रावलियों में साथ साथ तारीख लगती रही व दोनों में एकसाथ तारीख लग जायेगी। दिनांक 27.02.2025 को आक्षेपित आदेश करने से पूर्व विपक्षी अधिवक्ता को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा यदि प्रतिपक्षी को उक्त प्रार्थनापत्र पर सुनवायी का अवसर प्रदान किया जाता तो प्रार्थनापत्र विधिक रूप से स्वीकार नहीं हो सकता था। विचारण न्यायालय ने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग न करते हुए रूटीन अंदाज में आदेश पारित कर दिया। विचारण न्यायालय ने अपने में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने से इंकार किया है तथा उक्त अधिकारिता का प्रयोग किया है, जो उसमें निहित नहीं था। आक्षेपित आदेश पारित करते समय धारा 10 सी०पी०सी० व सब–रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त का पालन नहीं किया गया है। उपरोक्त आधार पर निगरानी सव्यय स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 27.02.2025 को निरस्त करने की याचना की गयी है।

6– विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश एवं सम्बन्धित मूलवाद पत्रावली का परिशीलन किया।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 93/2017 रामवीर बनाम राजेश दिनांक 16.08.2024 को प्रार्थी पक्ष की अनुपस्थिति में खारिज किया गया था। जिसके विरूद्ध दिनांक 19.09.2024 को प्रार्थी की ओर से उक्त आदेश को रिकॉल किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र दिया गया। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष को सुनने के पश्चात आदेश दिनांकित 27.02.2025 के माध्यम से उक्त प्रार्थनापत्र हर्जे पर स्वीकार किया है।

प्रकीर्ण वाद पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इजराय संख्या 11/2024 राजेश बनाम रामवीर के साथ ही उक्त प्रकीर्ण वाद की सुनवायी चली आ रही थी। दिनांक 29.07.2024 को प्रार्थी हाजिर आया, उसने इजराय पत्रावली में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी, शेष प्रकीर्ण वाद पत्रावलियां तत्समय कार्यालय से न आ पाने के कारण उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकी तथा प्रार्थी दि० 06.09.2024 की तिथि नोट कर चला गया तथा वह इस

UPMT010028192025

विश्वास में रहा कि पूर्व की भांति सभी पत्रावलियों में एक ही तिथि 06.09.2024 नियत की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रार्थनापत्र के तथ्य शपथपत्र से समर्थित हैं तथा प्रार्थनापत्र सद्भावी प्रतीत होता है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी मामले का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर उभयपक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधिसम्मत आदेश है।

7– अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस मत का है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 27.02.2025 जिसके माध्यम से प्रत्यर्थी/प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सी०पी०सी० स्वीकार किया है, वह किसी विधिक त्रुटि से ग्रस्त नहीं है और क्षेत्राधिकार का सही प्रयोग करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार आलोच्य आदेश पुष्ट किये जाने व यह व्यवहार निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

यह व्यवहार निगरानी सव्यय निरस्त की जाती है। आलोच्य आदेश दिनांकित 27.02.2025 की पुष्टि की जाती है।

उभय पक्ष अग्रेतर निर्देश हेतु दिनांक 10.04.2026 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों। विचारण न्यायालय का अभिलेख आवश्यक कार्यवाही उपरांत अविलम्ब वापस प्रेषित किया जाये।

दिनांक–02.04.2026

(विकास कुमार–।)
जनपद न्यायाधीश, मथुरा
आई०डी०क्रमांक-1910

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–02.04.2026

(विकास कुमार–।)
जनपद न्यायाधीश, मथुरा
आई०डी०क्रमांक–1910

सन्देश वर्मा